न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–547/2015

1. सुखराम
2. श्रवणलाल – पुत्रान स्व. श्री भैरू
3. रणजीत

4. नारायणी
5. हीरालाल – पुत्रान स्व. श्री सांवतराम
6. रामेश्वर

समस्त जाति जाट, निवासियन केरली की ढाणी, ग्राम बीड़ हाथोद, तहसील व जिला जयपुर।

7. श्रीमती राजू पुत्री स्व. सांवतराम पत्नी श्री गुलाब चन्द, जाति जाट, निवासी टोडावता की ढाणी, राधास्वामी बाग, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

8. सुशीला पुत्री स्व. श्री सांवतराम पत्नी श्री कैलाश, जाति जाट, निवासी लाखराण की ढाणी, ग्राम हिंगोनिया, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।

9. श्रीमती सोनी पुत्री भैरू पत्नी स्व. श्री हनुमान

10. लाली पुत्री श्री भैरू पत्नी श्री सायरमल

समस्त जाति जाट, निवासियान ग्राम मालीवाड़ा, तहसील व जिला जयपुर।

11. प्रेम पुत्री भैरू पत्नी श्री रामलाल, जाति जाट, निवासी ग्राम हिम्मतपुरा, तहसील व जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स/ अप्रार्थीगण–

बनाम

चन्दालाल पुत्र श्री तेजाराम दत्तक पुत्र झूंथाराम, जाति जाट निवासी केरली की ढाणी, ग्राम बीड हाथोद, तहसील व जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट्स–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री राजेश कुमार रूहेला अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री शिव सिंह चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 04–01–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 95/2014 उनवानी चन्दालाल बनाम सांवतराम व अन्य आदेश दिनांक 27.10.2015 जिसके द्वारा अपीलन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबन्धित किये जाने का आदेश प्रदान किया गया तथा अपीलान्ट की काउन्टर टी.आई. खारिज की गई है, प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्टस/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का दायर किया व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

संख्या 95/2014 प्रस्तुत किया। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीगण चले आ रहे हैं तथा प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 117 में से 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 118 में से 03 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 119 में से 02 बीघा 12 बिस्वा कुल 07 बीघा 16 बिस्वा की किस्म कृषि से अकृषि में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–90 (क) के तहत प्राधिकृत अधिकारी जोन–12 जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक 14.08.2013 को कर दिया है, जिसका अमल जरिये नामान्तकरण संख्या 354 दिनांक 08.01.2014 को किया जाकर खसरा नम्बर 117/2, 118/1, 119/1 कुल किता 3 कुल रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम नवीन अंकन किया गया। खसरा नम्बर 117/1, 118/1 व खसरा नम्बर 123 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा में से 4 बीघा 7 बिस्वा कृषि भूमि की किस्म भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (क) के तहत प्राधिकृत अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 11.10.2013 को रूपान्तरित कर दी, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 362 दिनांक 13.01.2014 को स्वीकार होकर अमल जमाबन्दी हो गया। यह भी अभिकथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 117/1 रकबा 16 बिस्वा, 118/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 119/1 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 123/235 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 144 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 145 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 151 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व 152 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 26 बीघा 13 बिस्वा के प्रार्थीगण जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार रिकॉर्डेड काश्तकार है और यह भूमि ही इस प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त भूमि है। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 117/1, 118/1, 119/1, 123/235 के दक्षिण में तथा खसरा नम्बर 144, 145, 151 व 152 के उत्तर में सींव जोड भूमि अप्रार्थीगण के स्व. पिता भैंरूराम के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार के वारिसान है और प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने पर आमादा फसाद रहते हैं, जिससे बचने के लिए विधिवत सीमाज्ञान व पत्थरगढी प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि की करवाई, परन्तु दिनांक 18.06.2014 को अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 22.06.2014 को सींव पर गाडे गये एक पत्थर को उखाड दिया और प्रार्थीगण को मारने के लिए आमाद फसाद हो गये, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीगण ने पुलिस थाना कालवाड जयपुर में दर्ज करवाई। दिनांक 21.07.2014 को सुबह अप्रार्थीगण एवं उनके साथ आये व्यक्तियों ने पत्थरगढी के समस्त पत्थरों को उखाडकर पत्थरों को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में 25 से 30 फीट अन्दर की तरफ गाड दिया तथा मौके पर खडी बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचाया। प्रार्थीगण संख्या 1 ने मौके पर आकर बातचीत की तो उसके साथ गाली गलौच व मारपीट पर आमादा हो गये और जिसकी रिपोर्ट भी प्रार्थीगण संख्या 1 ने कालवाड थाने में उसी दिन दर्ज करवाई। प्रार्थीगण को यह वैधानिक अधिकार है, कि वह अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि पर अनाधिकृत कब्जे को रूकवाये और अपनी कृषि भूमि की सुरक्षा करें, जिसके लिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना अनिवार्य है। इन तथ्यों को वर्णित करते हुए कथन किया गया कि अप्रार्थीगण को अविलम्ब अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार अनुचित हस्तक्षेप ना करें, वादग्रस्त भूमि में या उसके किसी अंश पर अतिक्रमण ना करे, प्रार्थीगण को बेदखल न करे और उनकी खडी फसलों को नुकसान ना पहुंचाये, ना उन्हें काटे। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 7 की ओर से प्रार्थीगण के प्रार्थना प. का जवाब मय काउण्टर टी0 आई0 के प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि के उत्तर में सींव जोड भूमि मिन अप्रार्थीगण के पिता भैरू के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

के मध्य एवं वादग्रस्त भूमि व अप्रर्थीगण की भूमि के मध्य लगभग 100 वर्ष पुरानी मिटटी की डोल बनी हुई है और जिसमें करीब 50 से 80 वर्ष पुराने पेड लगे हुए है तथा इस पर पहले से तारबन्दी हो रखी है। यह मिटटी की डोल व तारबन्दी प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि व मिन अप्रार्थीगण की भूमि को अलग करती है और सीमा बिन्दू का कार्य करती है। प्रार्थीगण का यह कहना पूर्ण रूप से गलत है, कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि में अनाधिकृत रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया हो। प्रार्थीगण ने यह भी गलत उल्लेखित किया कि दिनांक 21.07.2014 को अप्रार्थीगण ने पत्थरगढी के पत्थरों को उखाड दिया हो तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में 25 ये 30 फीट अन्दर की तरफ पत्थर गाढ दिये। यह भी गलत है कि प्रार्थीगण की बाजरे की फसल को नुकसान पहुंचाया हो प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए अप्रार्थीगण ने काउन्टर टी. आई. प्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् रेस्पोडेंट/प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा अपीलान्ट/प्रार्थीगण का काउन्टर टी.आई. निरस्त की तथा अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को पाबन्द किया, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थीगण द्वारा अपनी अपील मीमों में कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों, प्रावधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी रिकॉर्ड के विपरीत पारित किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय अपने आक्षेपित आदेश में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु अलग–अलग निर्धारित ना कर एवं समग्र रूप से निर्धारित कर कानूनी भूल की गई है।अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट प्रार्थी का प्रथमदृष्टया केस दिनांक 06.03.2014 को करवाये गये सीमाज्ञान एवं उसके आधार पर होना माना, जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिये गये फैसले दिनांक 07.10.2014 से उपरोक्त दोनों सीमाज्ञान व पत्थरगढी व इनके आधार पर की गई समस्त कार्यवाहियों को निरस्त किया जाना तथा नये सिरे से दोनों ही पक्षकारान को सुनकर कार्यवाही किये जाने का निर्देश तहसीलदार को दिया गया और दिनांक 06.03.2014 व 08.06.2014 की कार्यवाही को निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि खसरा नम्बर 117/1, 118/1,119/1 व 123/235 के दक्षिण में रेस्पोडेंट प्रार्थी ने सींवजोड भूमि अपीलान्टस के स्व. पिता भैरू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना तथा अपीलान्टस को रिकॉर्डेड खातेदार का वारिस होना स्वीकार किया। इसके बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट का वादग्रस्त भूमि के दक्षिण में स्थित भूमि का मालिक, स्वामी ना मानकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस स्वीकृत तथ्य व अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों व गगूल मैप में वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 117/1, 118/1, 119/1 एवं 123/235 के दक्षिण में तथा खसरा नम्बर 144, 145, 151 व 152 के उत्तर में बनी हुई वर्षो पुरानी मिटटी की डोल व उसमें लगे हुए वर्षो पुराने पेडों एवं अपीलान्ट की तारबन्दी जो कि वादग्रस्त भूमि एवं अप्रार्थीगण अपीलान्टस की भूमि का सीमा बिन्दु है और वर्षो से इसी रूप में उभय पक्षकारान अपनी–अपनी भूमियों पर काबिज है, परन्तु इन तथ्यों की अनदेखी कर रेस्पोडेंट/प्रार्थी का प्रथमदृष्टया केस मानकर कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी.आई. हेतु अपीलान्टस के हक में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु साबित क्यों नहीं है, इसका विवेचन ना कर काउन्टर टी.आई. खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट प्रार्थी ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर टी. आई. के जवाब में इस तथ्य से इन्कार नहीं किया कि अपीलार्थीगण के पिता के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 120, 122, 125 व 129 की भूमि पर अपीलान्टस का कब्जा नहीं है और अपीलान्टस उस भूमि के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

मालिक नहीं है और ना ही अपने जवाब में रेस्पोडेंट ने अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर मालिकाना हक होने से इन्कार किया, उसके बावजूद भी अपीलार्थीगण का उक्त भूमि पर अधिकार न मानकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर यह गौर नहीं किया कि अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेंटस के विरूद्ध चाही गई काउन्टर टी.आई. वादग्रस्त भूमि के संबंध में ना होकर अपीलान्टस के पिता के नाम दर्ज खातदेारी भूमि खसरा नम्बर 120, 122, 125 व 129 के बाबत थी तथा वादग्रस्त भूमि पर व इन भूमियों के मध्य बने हुए वर्षो पुराने मिटटी की डोल, पेड व उस पर की गई तारबन्दी की स्थिति को यथावत बनाये रखने के लिए चाही गई थी जो कि दस्तोवजी साक्ष्य से बखूबी साबित होने पर भी काउन्टर टी.आई. खारिज कर कानूनी भूल की है। अपील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2015 को निरस्त फरमाया जावे तथा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 117/1, 118/1, 119/1 एवं 123/234 के दक्षिण में तथा खसर नम्बर 144, 145, 151 व 152 के उत्तर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 129, 122, 120 व 125 की भूमि व इनकी सीमा पर बनी मिटटी की डोल व उसमें लगे हुए पेडो तथा तारबन्दी की यथास्थिति बनाये रखने के लिए रेस्पोडेंट को पाबन्द किया जावे।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेंटस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा अपनी लिखित बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–06–2014 को की गई पत्थरगढी के आधार पर पारित किया गया है जबकि उक्त पत्थरगढी के आदेश को अपील में निरस्त किया जा चुका है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के दक्षिण में अपीलार्थी के पिता की खातेदारी की भूमि सींव जोड भूमि होने के बावजूद अपीलान्टस के द्वारा चाही गई काउण्टर टी0 आई0 में प्रथमदृष्टया केस नहीं माना गया है। काउण्टर टी0 आई0 के जवाब में रेस्पोडेन्टस द्वारा अपीलार्थी के पिता के नाम दर्ज भूमि पर अपीलार्थी के कब्जे के संबंध में कोई इन्कार नहीं किया है।अपीलार्थी की भूमि एवं वादग्रस्त भूमि गुगलमेप में दिखाई गई मिट्टी की डोल व उसपर स्थित पेडों पर की गई तारबंदी से पूर्णतया अलग होती है तथा उसी अनुसार उभयपक्ष काबिज है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है।अपीलान्ट्स द्वारा उक्त मिट्टी की डोल व उसपर की गई तारबंदी की स्थिति को यथावत रखने बाबत काउण्टर टी0 आई0चाही गई थी जो खारिज करने में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों एवम विधि की सारभूत त्रुटि कारित की गई है जिसे निस्त फरमाया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विस्तृत विवेचना उपरान्त पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली में उपलब्ध दस्ताावेजात से यह पूर्णतया साबित था कि रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अपीलार्थी/अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढी एक से अधिक बार करवाये जाने के उपरान्त भी उनके कब्जे काश्त में अप्रार्थीगण द्वारा मजाहमत की गई है। इसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित तीनों घटकों पर विस्तार पूर्वक विवेचना किये जाने के उपरान्त प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्टस का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्टस/अप्रार्थीगण का काउण्टर टी0 आई0 प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। अपीलान्टस द्वारा उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो कि चलने योग्य नहीं हैं। अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

रेस्पोडेन्टस के द्वारा अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2017 (2) आरआरटी 1281 प्रस्तुत कर अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

7–उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवम उसमें उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में उल्लेख किया है कि "हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना–पत्र के निस्तारण के लिए हमने मुख्यतः प्रथमदृष्टा केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति पर विवेचन करना है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है व उसने मौके पर बाजरे की काश्त कर रखी हैं। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट होता हो कि वादग्रस्त भूमि में उनका किसी प्रकार का हक निहित हो। प्रार्थी के पक्ष में प्रथमदृष्टा केस होना पाया जाता है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 6–3–2014 को करवाकर दिनांक 18–06–2014 को पत्थरगढी करवाई थी जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। जिसे अप्रार्थीगण ने दिनांक 22–6–2014 को उखाड दी। इसके पश्चात प्रकरण संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील में जाने पर संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा प्रकरण तहसीलदार जयपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत सभी पक्षकारान को साक्ष्य एवं सबूत प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत कार्यवाही एक माह में करें। इस आदेश की अनुपालना में दिनांक 17–4–2015 को पुनः पुलिस जाप्ता की मौजूदगी में विवादित स्थल बीड हाथोद की आराजीयात खसरा नम्बर 117/1,119/1,144 व 151 की पत्थरगढी अप्रार्थीगण की मौजूदगी में की गई जिसे अप्रार्थीगण ने पुनः दिनांक 6–7–2015 को उखाड दी जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से प्राप्त की गई जिसके अनुसार अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण के खेत में लगभग 8 गट्टा अन्दर की ओर पत्थरों को गाड दिया। इस घटनाक्रम से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर पत्थरगढी हो जाने के उपरान्त भी प्रार्थी को जबरन हैरान व परेशान कररहे है यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के संबंध में प्राप्त वैधानिक अधिकारों से वंचित होना पडेगा इस प्रकार सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षंति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है।" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर टी0 आई0 के संबंध में अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि " वादग्रस्त भूमि में से खसरा नम्बर 117/1,118/1,119/1,123/235 के दक्षिण में सींव जोड भूमि खसरा नम्बर 120,122,125,129, स्थित है जिसे अप्रार्थीगण पैत्रिक भूमि होना बताते है। राजस्व रिकार्ड अनुसार अभी तक खातेदारी भैरू पि0मु0 महादेव के नाम अंकित है तथा इस भूमि के संबंध में नियमित वाद सारादेवी बनाम मौहरू लम्बित है। अभी तक अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों का निस्तारण होना शेष है।जबकि प्रार्थी/वादी वादग्रस्त भूमि का काबिज रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है।अतःअप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर टी0 आई0 प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया उपर्युक्त विवेचन पूर्णतया विधि सम्मत हैं।प्रार्थी रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में मजाहमत करने के पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पूर्ण विवेचन उपरान्त स्वीकार किया गया है।अप्रार्थीगण/अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत टी0 आई0 प्रार्थना–पत्र वादग्रस्त भूमि एवं अपीलान्टस की तथाकथित खातेदारी भूमि के मध्य स्थित मिट्टी की डोल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

एवं तारबंदी को यथावत रखे जाने बाबत प्रस्तुत किया गया है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उचित तौर पर राजस्व रिकार्ड एवं प्रकरण के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए खारिज किया गया है। मौके पर उपस्थित मिट्टी की डोल को विधिक तौर पर दो कृषि भूमियों के मध्य की वास्तविक सीमा नहीं माना जा सकता है तथा सीमाज्ञान एवं उसके अनुसार की गई पत्थरगढी ही दो खातेदारों के मध्य की सीमा निर्धारित करती है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है।प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र में वर्णित वादग्रस्त भूमि तथा अप्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र मे वर्णित वादग्रस्त भूमि भिन्न होने के कारण अपीलान्टस द्वारा उक्त दोनों भूमियों के संबंध में पारित अलग–अलग आदेश की एक ही अपील प्रस्तुत की गई है जो कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 (2)आरआरटी 1281 में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार चलने योग्य नहीं है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल निहित नही होने से व खारिज किये जाने योग्य है।

8–अतःअपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27–10–2015 यथावत रखा जाता है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9– निर्णय आज दिनांक 04–01–2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर